Divyang Manisha giving her examination with the help of scribe

Ramps in College

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर

केन्द्राधीक्षकों के लिए अनुदेश – 2020 से

परीक्षा मे अनुचित साधनों के प्रयोग को 1992 के अधिनियम संख्या 27 के अधीन आपराधिक दण्ड घोषित किया जा चुका है, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज पत्र 11.11.92 को किया गया है। इसे कृपया अध्यापक एवं अभ्यर्थियों को ध्यान में लाना चाहिए। इस परीक्षा केन्द्र के उपयुक्त स्थान पर लिखकर चिपकाना चाहिए।

1. परीक्षा की तिथि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर द्वारा घोषित की जायेगी।
2. जिन नगरों/कस्बों में एक से अधिक महाविद्यालय हों वहाँ विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र परस्पर बदलकर दिये जाये।
3. जिन स्थानों में एक ही महाविद्यालय हो वहाँ के विद्यार्थियों को निकटस्थ परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाये। किसी भी स्थिति में उसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र वही महाविद्यालय नहीं हो।
4. सभी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा कंक्षों सहित परीक्षा केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाय। सीसीटीवी कैमरों की रिपोर्टिंग नियमित रूप से विश्वविद्यालय को दी जाये।
5. केन्द्राधीक्षकों, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक व उप केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति –
   (i) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्र है उसका अधिष्ठाता/प्राचार्य नियमानुसार उस केन्द्र का केन्द्राधीक्षक का कार्य करेगा जब तक कि विशेष परिस्थितियों में कुलपति अनुमति प्रदान करें। कुलपति की अनुमति के बिना वह कृपया अपना मुख्यालय परीक्षा के दिनों में किसी भी कारण से नहीं छोडें। कोई भी व्यक्ति एक ही संस्था में दो केन्द्रों (परीक्षाओं) का एक साथ केन्द्राधीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
   (ii) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक उप केन्द्राधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
   (a) यदि पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 500 तक है तो एक केन्द्राधीक्षक, एक अतिरिक्त अधीक्षक एवं एक उप केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।
   (b) यदि पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 500 अधिक है एवं 800 तक है, तो एक अतिरिक्त केन्द्र अधीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।
   (c) यदि पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 800 से अधिक है तो एक अतिरिक्त उप केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है।
   (iii) जिस व्यक्ति की अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक या उप केन्द्राधीक्षक, जैसी परिस्थिति हो, नियुक्ति की जाती है वह सामान्यतः उपप्राचार्य/सह आचार्य होना चाहिए और यदि ये पद महाविद्यालय में विद्यमान नहीं है तो महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता को लिया जा सकता है। केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं उप केन्द्राधीक्षक की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करेगा और उसका नाम विश्वविद्यालय रिकार्ड के लिए सूचित करेगा। अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक/उप केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति की विश्वविद्यालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

14. वीक्षक पर्यवेक्षक के लिए निर्देश –

(i) परीक्षा आरम्भ होने के निश्चित समय पर प्रश्न–पत्रों का वितरण शुरू कर देना चाहिए।

(ii) यदि प्रश्न–पत्रों में एक से अधिक पृष्ठ मुद्रित हैं तो वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों कुल पृष्ठ की संख्या की सूचना दी जानी चाहिये ताकि वे यह जांच लें कि कोई पृष्ठ गायब तो नहीं है।

(iii) वीक्षकों के पास बची हुई सब प्रतियां तत्काल एकत्रित कर ली जावे और प्रश्न–पत्रों के शेष का एक विवरण जिसमें प्राप्त प्रश्न–पत्र वितरित और अवितरित तैयार कर लिया जावे। कोई भी बचा हुआ प्रश्न–पत्र वीक्षक के पास नहीं रहने दिया जावे और न ही परीक्षा भवन से परीक्षा चालू होने के कम से कम दो घण्टे पूर्व बाहर जाने दिया जावें।

(iv) जो परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष जल्दी छोडना चाहें उन्हें उनके साथ प्रश्न पत्र नहीं ले जाने दिया जावें। परीक्षार्थी जब लघुशंका/शौचालय जावें तब उन्हें अपनें साथ बाहर प्रश्न पत्र नहीं ले जाने दिया जावें। यदि कभी प्रश्न पत्रों की प्रतियां कम पड़ें और कुछ परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं दिया जा सकें। उन्हें प्रश्न की फोटो कॉपी उपलब्ध करवा दी जानी चाहिये।

(v) यदि कोई परीक्षार्थी, मुद्रित नामावली में उसके द्वारा लिये गये ऐच्छिक विषय के प्रश्न–पत्र के अलावा अन्य प्रश्न–पत्र की मांग करता है तो उससे लिखित में आश्वासन प्राप्त करें कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा बाद में कोई विसंगति पाई जायेगी तो उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। उसे उसके द्वारा चाहा गया प्रश्न–पत्र उपलब्ध करा दिया जावे।

(vi) यदि प्रश्न–पत्रों के बारे में परीक्षार्थियों से शिकायतें आती हैं कि वे पाठ्यक्रम से बाहर है या अस्पष्ट (Ambiguous) है उन्हें निर्देश दिए जाए कि वे उन्हें दिये गये प्रश्न–पत्र को हल करें और उस परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर केन्द्राधीक्षक के मार्फत विश्वविद्यालय को विचार करने और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन भिजवा दें। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्न–पत्र को निरस्त करने और उसमें संशोधन करने का अधिकार केन्द्राधीक्षक को नहीं है।

15. नेत्रहीन और विकलांग परीक्षार्थियों के लिए निर्देश–

नेत्रहीन 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने अथवा चोट लग जाने या ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाने की दशा में ऐसे अशक्त परीक्षार्थी को जो वास्तव में लिखने में असमर्थ हो केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतिलेखक (Amanuensis) दिया जाएगा। ऐसी सब प्रार्थनाएं अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण–पत्र देने पर ही देय होगी। श्रुतिलेखक की योग्यता परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठ रहा है उससे कम होनी चाहिए। उदाहरणार्थ स्नातकोत्तर परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी को स्नातक परीक्षा के स्तर का व्यक्ति और तृतीय वर्ष की परीक्षा के लिए पूर्व स्नातक (सीनियर हायर सैकण्डरी) का लेखक दिया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

श्रुतिलेखक के लिए अन्य शर्ते–

(i) विकलांग एवं नेत्रहीन परीक्षार्थी को एक घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जाये।

(ii) परीक्षार्थी को उस राशि से दुगनी राशि विश्वविद्यालय को जमा करानी होगी जो वीक्षक को कुल सत्रों (Session) में, जितनों के लिए उसने इस सुविधा का उपयोग किया है, देय हो।

(iii) साधारणतया एक ही व्यक्ति एक परीक्षार्थी के लिए सम्पूर्ण परीक्षा के लिए श्रुतिलेखक का कार्य करेगा।

विकलांग एवं नेत्रहीन परीक्षार्थियों को जैसा कि ऊपर 13 (i) में वर्णन किया गया है कि एक घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जिन विकलांग परीक्षार्थियों की अंगुलियों में अभाव (Defect) है उन्हें यदि कोई श्रुतिलेखक नहीं दिया गया है, उन्हें भी एक घण्टे का अतिरिक्त समय दे दिया जावे।

केन्द्राधीक्षक ऐसे सभी प्रकरण पूर्ण रूप से सविस्तार निर्धारित प्रपत्र पर सूचित करेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के मुख पृष्ठ पर लाल स्याही से केन्द्राधीक्षक द्वारा "उत्तर श्रुतिलेखक द्वारा" (Answer written by Amanuensis) अंकित करेंगे।

यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा दिनों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाये तो उसे केन्द्राधीक्षक को परीक्षा चालू होने के पूर्व कम से कम घण्टों के अन्दर एक शपथ–पत्र (Declaration) देकर श्रुतिलेखक के लिए आवेदन करना चाहिए अन्य सभी शर्ते उपरोक्तानुसार रहेगी।

परीक्षार्थियों के लिए श्रुतिलेखक का प्रपत्र–

मैं..... पुत्र श्री .....

निवासी .....

निम्नानुसार प्रतिज्ञा करता हूँ कि–

1. दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मुझे दिनांक .....को चोट लगी है।
2. मेरा इलाज डॉ० .....द्वारा किया गया और मेरे द्वारा जिले के मेडिकल अधिकारी (.....) का प्रस्तुत प्रमाण–पत्र वास्तविक है।
3. श्रुतिलेखक श्री .....पुत्र श्री ..... निवासी..... है।

मैं जानता हूँ कि केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतिलेखक के लिए जो स्वीकृति दी गई है वह पूर्णतया अस्थायी है। यदि मेरे द्वारा दिए गए कथन असत्य पाये जायें तो मेरी परीक्षा बिना किसी कानूनी कार्यवाही के विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

.....

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

अथवा अंगूठा निशानी

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

श्रुतिलेखक के लिए–

मैं..... पुत्र श्री .....

निवासी .....

निम्नानुसार प्रतिज्ञा करता हूँ कि–

1. कि मैं .....महाविद्यालय/ विद्यालय का छात्र हूँ।
2. कि मैं .....पिता का नाम.....

(छात्र) का नाम ..... निवासी.....

जो दुर्घटना–ग्रस्त हो गया था और परीक्षा में स्वयं लिखने की स्थिति में नहीं है के श्रुतिलेखक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ।

3. कि श्री ..... मेरे रिश्ते में नहीं है।

मैं जानता हूँ कि उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य पाया जाता है तो मेरे खिलाफ इस मामले में विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

.....

श्रुतिलेखक के हस्ताक्षर व स्थानीय पता

16. परीक्षार्थियों को भी सूचित कर दिया जावे कि अपनी उत्तर पुस्तकों व उनके किसी भाग पर अपना नाम व अनुक्रमांक अंकित नहीं करें। वीक्षकों को यह हिदायत दे दी जावे कि वे इस तथ्य की जांच इस हेतु नियुक्त व्यक्ति से उत्तर पुस्तकें संभलवाने से पूर्व कर लें।
17. कोई भी परीक्षार्थी विशेष परिस्थितियों में केन्द्राधीक्षक की सहमति व अनुरक्षक के बिना अपना परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसने अपने उत्तर समाप्त नहीं कर लिए हों। परीक्षा शुरू होने के आधा घण्टे बाद तक भी परीक्षार्थी अपना उत्तर पुस्तिका नहीं देगा।
18. केन्द्राधीक्षक का अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति वीक्षक या पर्यवेक्षक के अलावा परीक्षा भवन में प्रवेश नही कर सकेगा और न ही घूम सकेगा। परीक्षा के दौरान डाकिया. विद्यालय या महाविद्यालय के चपरासी या अन्य व्यक्तियों को परीक्षाथिया को पत्र सौंपने की इजाजत नहीं है। परीक्षार्थियों से परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की सूचना देने की सख्त मनाही है।
19. परीक्षा के दौरान किसी को भी किसी परीक्षार्थी के किसी भी विषय पर प्रश्न–पत्र के सम्बन्ध में यहा तक पत्र में मुद्रण की अशुद्धि या अस्पष्टता के विषय में बात करने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
20. निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात् किसी को भी लिखने की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।
21. धूम्रपान और मद्यपान का प्रयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित है।
22. लिखित उत्तर पुस्तिकायें एवं अनुपस्थित विवरण–पत्र का प्रेषण–

(i) केन्द्राधीक्षक परीक्षार्थियों की दैनिक उपस्थिति मय उनके हस्ताक्षर के रिकार्ड रखेंगे। किसी भी कारणवश जो परीक्षार्थी प्रत्येक विषय में अनुपस्थित रहे हों उन सभी के अनुक्रमांकों की सूचना अनुपस्थित विवरण पत्र के प्रपत्र संख्या में दी जानी चाहिए। यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग के कारण कोई उत्तर पुस्तक/ पुस्तकें सीधे ही

Scanned by CamScanner

Examination Policy for providing scribes to Differently abled candidates

सेवा में,

श्रीमान् प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक
राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

विषय - परीक्षा में प्रतिलेखक की अनुमति के क्रम में।

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे स्वास्थ्य कारणों से विश्वविद्यालय की परीक्षा में लिखने में असमर्थता हो रही है अतः मुझे अपने साथ सहायक के रूप में प्रतिलेखक की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावें।

सधन्यवाद।
दिनांक 11/08/2021

आपका आज्ञाकारी शिष्य
Dharmaram Choudhary
(धर्माराम चौधरी S/o मनाराम)
बी.ए. तृतीय वर्ष परीक्षा 2021
Roll No. 19PBA93537

संलग्न -
1. परीक्षा प्रवेश पत्र- 2021
2. प्रतिलेखक का परिचय पत्र
3. प्रतिलेखक की 10वीं अंकतालिका

allowed
Roll No: 19PBA93537
exam 11/8/21 (M)
सत्यापित
11/8/21

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर

JNVU exam (Supply) 2021 Asst. C.S Dr Hemlataji For M.A. [signature] APS 31/1/22

श्रीमान प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक
राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर

विषय:- पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति बाबत्

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी पूरक परीक्षायें आपके महाविद्यालय से है। मुझे आंखों से दिखाई न देने के कारण श्रुतलेखक से परीक्षायें सम्पन्न करवानी पड़ती हैं। संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर आपसे निवेदन है कि आप विशेष परिस्थितियों में परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करावें।

धन्यवाद।

दिनांक
31/01/2022

चन्द्रप्रकाश
श्रुतलेखक
निवासी V/P - इदवा
तह. - पचपदरा
जि. - बाड़मेर

प्रार्थी
ममता
ममता

परीक्षा में निर्देशानुसार सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है
[signature] 31/1/22
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाड़मेर (राज.)

<u>Scribe permission during Examination to Differently abled Candidates</u>